चौमूं में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने स्कूटी सवार पिता-पुत्र को कुचला, दोनों की मौत

हादसे में स्कूटी सवार सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक और वकील बेटे की मौत हो गई

चौमूं/कालाडेरा, (निसं)। जयपुर ग्रामीण के गोविंदगढ़ थाना इलाके में मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। गलत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक और उनके वकील बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 9 वर्षीय पोता घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।

गोविंदगढ़ थानाधिकारी विनोद सांखला ने बताया कि मृतकों की पहचान चौमूं कस्बे के वार्ड नंबर एक निवासी सत्यनारायण सैनी (68) और उनके पुत्र विजेंद्र सैनी (45) के रूप में हुई है। विजेंद्र पेशे से वकील थे। मंगलवार दोपहर करीब दो बजे विजेंद्र अपने पिता सत्यनारायण और बेटे मनवीर (9) के साथ स्कूटी पर सवार होकर चौमूं से श्रीमाधोपुर जा रहे थे। विजेंद्र के ससुराल में जलवा पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए तीनों घर से निकले थे। हादसा भदाला कट के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक थार गाड़ी गलत दिशा (रॉन्ग साइड) से तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसने स्कूटी को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और तीनों सड़क पर दूर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने पिता-पुत्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि बच्चे की जान बाल-बाल बच गई। हादसे के बाद थार सवार लोग गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त थार को जब्त कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें रवाना की है। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। विजेंद्र चार भाइयों में से एक थे और उनके पीछे एक बेटा व एक बेटी है। इस हृदय विदारक घटना के बाद चौमूं के वार्ड नंबर एक में शोक की लहर दौड़ गई है।

हादसे के बाद पुलिस ने थार गाड़ी को जब्त किया।

- गोविंदगढ़ थाना इलाके में गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार थार गाड़ी ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी थी

बदमाशों ने टोंक के पलाई टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की

टोंक, (निसं)। उनियारा थाना क्षेत्र के पलाई टोल प्लाजा पर सोमवार रात्रि को बदमाश तोड़फोड़ कर भाग गये। बादमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गये। हादसे के दौरान तीन गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने टोल पर जमकर तोड़फोड़ की। अचानक हुए इस हमले से टोलकर्मी घबरा गए और अपनी जान बचा कर काउंटर छोड़ कर भाग निकले। बाद में बदमाशों ने लाठियों से काउंटर के कांच तोड़ दिए और काउंटर का सामान भी बिखेर दिया। पूरा मामला टोल पर लगे सीसीटीवी कमरे में कैद हो गया। इस मामले में मंगलवार को टोल एकाउंटेंट राजकुमार चौधरी ने उनियारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर टोल पर लाखों रुपए का नुकसान होने की बात कही है।

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए उनियारा डीएसपी और उनियारा थाना प्रभारी को मामले की जांच के आदेश दिये। टोल प्लाजा पलाई के एकाउंटेंट राजकुमार चौधरी ने बताया कि सोमवार देर रात को तीन गाड़ियां नैनवा की ओर से आईं तथा टोल लेन पर पहुंचते ही एक कार ने पहले बैरिकेड्स को टक्कर मारकर तोड़ दिया। इसके बाद गाड़ियां वहीं रोक दी गई और उनमें से युवक लाठियां लेकर बाहर निकले, उन्होंने बिना किसी कारण टोल बूथ पर हमला शुरू कर दिया और करीब 10 से 15 मिनट तक जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान टोल काउंटरों के शीशे टूट गए और अंदर रखा सामान बिखर गया। अचानक हुए इस हमले से टोल प्लाजा के कर्मचारी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग निकले। घटना की सूचना मिलने पर राजकुमार चौधरी मौके पर पहुंचे तो बूथ क्षतिग्रस्त हालत में मिले। तोड़फोड़ के बाद कर्मचारी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग गए। टोल प्लाजा की घटना में करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बाद में रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़कर उन पर कार्यवाही की मांग की है।

- अचानक हुए इस हमले से टोलकर्मी घबरा गए और भाग कर जान बचाई

सड़क हादसे में एक की मौत : लालसोट थाना क्षेत्र के देवली गांव में सड़क पर लापरवाही से खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली एक युवक की मौत का कारण बन गई। सोमवार रात पपलाज माता मंदिर के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक ट्रॉली से जा भिड़े, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार देवली गांव में सड़क किनारे ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी थी। इसी दौरान देवली की ओर जा रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पीछे से ट्रॉली में जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को लालसोट जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जयपुर रेफर कर दिया।उपचार के दौरान देवली निवासी अंकित प्रजापत ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा युवक जितेश प्रजापत गंभीर हालत में जयपुर में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। हादसे के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक और ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है। घटना ने एक बार फिर सड़क पर खड़े वाहनों की लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए।

मानवाधिकार आयोग के नाम पर फर्जी टीम बनाकर क्रशरों संचालकों से वसूली

पाटन, (निसं)। स्थानीय पुलिस थाना क्षेत्र में मानवाधिकार आयोग के नाम का दुरुपयोग कर क्रशर संचालकों को धमकाकर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। कार पर पुलिस का लोगो और राजस्थान स्टेट ग्रीवेंस ऑफिसर की प्लेट लगाकर पहुंचे चार आरोपियों ने जांच के नाम पर क्रशर बंद करवाने की धमकी दी और हजारों रुपए ऐंठ लिए। माइनिंग एसोसिएशन की सतर्कता से चारों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।काशतपुरा निवासी लीलाधर सैनी ने पाटन थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह भागेश्वर (डोकन) के पास स्थित स्टार स्टोन क्रशर पर मुनीम है। 16 मार्च को शाम करीब साढ़े चार बजे एक ऑल्टो कार में सवार चार व्यक्ति क्रशर पर पहुंचे। कार पर पुलिस का लोगो और राजस्थान स्टेट ग्रीवेंस ऑफिसर की प्लेट लगी हुई थी। आरोपियों ने खुद को मानवाधिकार संगठन से जुड़ा बताते हुए खनन संबंधी दस्तावेजों की जांच का नाटक किया और क्रशर बंद करवाने की धमकी देकर पैसे मांगने लगे। डर के चलते मोलभाव के बाद मुनीम से चार हजार रुपए ले लिए। बाद में जांच करने पर पता चला कि आरोपियों का मानवाधिकार आयोग से कोई संबंध नहीं है और वे फर्जी तरीके से वसूली कर रहे थे। आरोपियों ने अपने नाम भैंरूराम गुर्जर, रमेशचंद रैगर, रोहिताश रैगर और तुलसीराम गुर्जर बताए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है, जिसकी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है। साथ ही नथुवाला स्थित एक अन्य क्रशर से भी दस हजार रुपए वसूली की बात सामने आई है।

इधर, माइनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरमल सैनी, महेंद्र गोयल और सचिव शंकर सैनी ने बताया कि आरोपी लंबे समय से संगठन के नाम का दुरुपयोग कर क्रशर संचालकों को धमका रहे थे। सूचना मिलते ही पदाधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों से संपर्क किया और उनकी गाड़ी को गावड़ी मोड़ स्थित एक पेट्रोल पंप पर रुकवाया। इसके बाद मौके पर पहुंचकर चारों को पकड़कर गाड़ी सहित नीमकाथाना सदर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

सदर थाना अधिकारी राजेश डूडी ने बताया कि चारों आरोपी कोट-पेंट पहनकर गले में आई-कार्ड लगाए हुए थे, जिससे वे खुद को अधिकृत अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। पूछताछ के बाद उन्हें पाटन थाने भेजा गया है। पाटन थाना अधिकारी रमेश मीणा के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

- कार पर पुलिस का लोगो और राजस्थान स्टेट ग्रीवेंस ऑफिसर की प्लेट लगाकर पहुंचे थे चार आरोपी
- माइनिंग एसोसिएशन की सतर्कता से चारों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया

बीकानेर में 46 घरेलू सिलेंडर जब्त किये

बीकानेर, (निसं)। शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ रसद विभाग ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 46 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। देर रात नरेश शर्मा के नेतृत्व में जिला रसद विभाग की टीम ने सर्वोदय बस्ती में मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध बाड़े पर छापा मारा। जांच के दौरान वहां से 38 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस रिफिलिंग मोटर और तौल कांटा बरामद किया गया। मौके पर मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस की टीम को बुलाकर आवश्यक कार्रवाई की गई। रसद अधिकारी ने बताया कि संभागीय आयुक्त और जिला कलैक्टर के निर्देश पर घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत रात के समय शहर के कई स्थानों पर निरीक्षण किया गया।

चारागाह भूमि पर किए जा रहे अवैध खनन से ग्रामीण परेशान

ब्लास्टिंग के दौरान बड़े-बड़े पत्थर खेतों में आकर गिरने से किसानों व ग्रामीणों में भय

मसूदा, (निसं)। मसूदा उपखंड के ग्राम लूलवा के दांती का बाड़िया में चरागाह भूमि पर किए जा रहे अवैध खनन से आसपास के काश्तकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

खनन के दौरान खेतों में आने वाले पत्थरों के कारण काश्तकार खेती नहीं कर पा रहे हैं और काश्त की जमीन भी धीर-धीरे बेकार हो रही है। अवैध खननकर्ता को बार-बार समझाने के बाद भी वह अवैध खनन से बाज नहीं आ रहा है। उल्टा काश्तकारों को धमकियां देते हुए उन्हें परेशान किया जा रहा है। अवैध खनन तथा खननकर्ता की धमकियों से परेशान ग्रामीण मंगलवार को जिला कलैक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला कलैक्टर को एक ज्ञापन देकर अवैध खनन को रूकवाने तथा खननकर्ता को इस हेतु पाबंद करने की मांग की। जिला कलैक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम लूलवा के दांती के बाड़िया में मवेशियों के चरने के लिए चरागाह भूमि पर कैलाशचंद पुत्र देवा द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि खनन के दौरान किए जाने वाले ब्लास्टिंग के दौरान बड़े-बड़े पत्थर खेतों में आकर गिरते हैं, जिसके कारण खेती का काम करने वाले किसानों को भय सताता रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध खननकर्त्ता को इस बाबत मना करने पर उल्टा काश्तकारों को पुलिस में फंसाने की धमकियां देता है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से शीघ्र ही इस और ध्यान देकर अवैध खनन को बंद करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में प्रवीण कुमार, विशाल, भागचंद, सीता देवी तथा प्रकाश आदि शामिल रहे।

इस दौरान मौके पर उपस्थित डिप्टी राजेश कसाना तथा तहसीलदार हनुतसिंह ने ग्रामीणों से बातचीत कर शीघ्र ही उनकी समस्या का समाधान करवाने की आश्वासन दिया।

विवाहिता बिना बताए घर से लापता

जोधपुर, (निसं)। जोधपुर कमिश्नरेट के राजीव गांधी थाना इलाके में एक 25 वर्षीय विवाहिता बिना बताए घर से चली गई। घर से जाते समय वह नकदी और सोना-चांदी के गहने भी अपने साथ ले गई। महिला के पति की तरफ से थाने में रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी रात के समय बिना बताए घर से कहीं चली गई। जाते समय वह 50 हजार रुपए और सोने-चांदी के गहने ले गई। इसमें सोने के 6 तोला और चांदी के एक किलो दौ सौ ग्राम गहने शामिल हैं। गहनों की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है।

पीड़ित ने बताया कि इसके बाद उसने आस-पड़ोस और रिश्तेदारी में पता किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सहायक उपनिरीक्षक पुजराज सिंह को सौंपी है। वहीं, भगत की कोठी थाना इलाके में 19 वर्षीय युवती के लापता होने का मामला सामने आया है।

बयाना में लैपर्ड का आतंक, लोगों में दहशत

बयाना/भरतपुर, (निसं)। बयाना-करौली बॉर्डर (डांग क्षेत्र) में एक बार फिर लैपर्ड (तेंदुआ) की दहशत देखने को मिली है। बयाना-करौली बॉर्डर से सटे डांग इलाके में सोमवार देर रात करीब 12 बजे एक लैपर्ड ने रिहायशी क्षेत्र में घुसकर गाय का शिकार कर लिया। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल बन गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लैपर्ड ने गाय पर हमला करने के बाद उसे मार डाला और करीब कुछ मिनटों तक वहीं बैठा रहा। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, गाड़ियों की लाइटें जलाईं, लेकिन लेपर्ड बिना डरे मौके पर डटा रहा। इससे लोगों में और ज्यादा दहशत फैल गई। गांव के कुछ युवकों ने मौके पर मौजूद रहकर लैपर्ड के शिकार का वीडियो भी बना लिया, जो अब इलाके में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लेपर्ड का बेखौफ अंदाज साफ देखा जा सकता है। दूसरे इलाके में भी हमला इसी तरह की एक और घटना सवाई माधोपुर शहर के पास सामने आई है, जहां एक लैपर्ड ने भैंस को मार डाला। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही को लेकर चिंता बढ़ गई है। डांग इलाके में बढ़ रही हलचल विशेषज्ञों का मानना है कि डांग क्षेत्र में जंगलों के पास बसे गांवों में भोजन की तलाश में लैपर्ड रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे हैं। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति बन रही है। प्रशासन से कार्रवाई की मांग ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि इलाके में गश्त बढ़ाई जाए और लैपर्ड को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं।

- लैपर्ड ने रिहायशी इलाके में गौवंश का शिकार किया

स्टेनोग्राफर ने ढाई हजार की रिश्वत ली

जयपुर/झुंझुनूं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की झुंझुनूं टीम ने मंगलवार को कार्यवाही करते हुए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के स्टेनोग्राफर नीरज कुमार को ढाई हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने जिला उद्योग विभाग में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम (पीएमईजीपी) योजना के तहत 5 लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। इस ऋण को अप्रूव करने के बदले विभाग का स्टेनोग्राफर नीरज कुमार उसे ढाई हजार रुपये की रिश्वत के लिए परेशान कर रहा था। एसीबी जयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के निर्देश पर शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। मंगलवार को एसीबी टीम ने आरोपी नीरज कुमार ने परिवादी से ढाई हजार रुपये की रिश्वत ली, टीम ने उसे दबोच लिया।

राजस्थान हाईकोर्ट : डिज़िटल सबूत की क्लोन कॉपी आरोपी का अधिकार

जोधपुर, (निसं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चित्तौड़गढ़ स्पेशल जज के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने आदेश पास करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि आरोपी को मूल डिजिटल रिकॉर्डिंग की हैश वैल्यू सहित क्लोन कॉपी उपलब्ध कराई जाए।

जानकारी के अनुसार जयपुर के 20 रघुविहार, महारानी फार्म निवासी किशन अग्रवाल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) चित्तौड़गढ़ पुलिस स्टेशन से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। चित्तौड़गढ़ की विशेष न्यायालय (स्पेशल जज, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कोर्ट) में केस नंबर चल रहा है। इस मामले में आरोपी याचिकाकर्ता किशन अग्रवाल ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दो आवेदन दिए थे। पहले आवेदन में रिश्वत की कथित मांग की मूल रिकॉर्डिंग की क्लोन कॉपी और हैश वैल्यू मांगी गई थी। दूसरे आवेदन में जब्त राशि की फर्द, घटना की फोटो, वीडियोग्राफी और पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग मांगी गई थी। चित्तौड़गढ़ स्पेशल जज ने 1 सितंबर 2025 को दोनों आवेदन खारिज कर दिए। जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में पिटिशन दायर की।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) के मुताबिक रिश्वत की मांग की तीन अलग-अलग बातचीत डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन न तो कोई डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर और न ही कोई मूल रिकॉर्डिंग डिवाइस की क्लोन कॉपी चार्जशीट के साथ दाखिल की गई। वकील ने तर्क दिया कि आरोपी को जो सीडी और ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है, वह मनमाना तरीके से बनाया गया है और मूल रिकॉर्डिंग से मेल नहीं खाता। वकील ने यह भी तर्क दिया कि हैश वैल्यू सहित मूल मीडिया डिवाइस की क्लोन कॉपी मिलने से ही आरोपी रिकॉर्ड की प्रामाणिकता जांच सकता है और प्रभावी बचाव कर सकता है। कोर्ट ने पाया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सामने आने और आरोपी के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तथा इस हाईकोर्ट के कोऑर्डिनेट बेंच के स्पष्ट निर्णय उपलब्ध हैं। संदर्भ फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेमोरी कार्ड/पेनड्राइव की सामग्री दस्तावेज है और अभियोजन पक्ष यदि उस पर निर्भर करता है, तो आरोपी को उसकी क्लोन कॉपी मिलना जरूरी है। कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की महत्ता और इससे संबंधित कानूनी सिद्धांतों की सही तरह से सराहना नहीं की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने कोई नया दस्तावेज नहीं मांगा, बल्कि केवल उस सामग्री की प्रमाणित प्रति मांगी है, जिसे अभियोजन पक्ष अपने मामले के समर्थन में उपयोग करना चाहता है। कोर्ट ने कहा कि हैश वैल्यू के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रामाणिकता की जांच संभव नहीं है और ऐसे में आरोपी का प्रभावी बचाव करना असंभव हो जाता है। इसी आधार पर जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने चित्तौड़गढ़ स्पेशल जज के 1 सितंबर 2025 के आदेश को रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि आरोपी किशन अग्रवाल को मूल डिजिटल रिकॉर्डिंग की हैश वैल्यू सहित क्लोन कॉपी दी जाए।

- ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द, भ्रष्टाचार मामले में मिलेगी मूल रिकॉर्डिंग की क्लोन कॉपी
- राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के एक मामले में फैसला सुनाते हुए चित्तौड़गढ़ स्पेशल जज के आदेश को रद्द किया

जालोर : गणपतसिंह माण्डोली हत्याकांड का पर्दाफाश, महिला सहित तीन जने गिरफ्तार

जालोर, (कासं)। जालोर जिले के चर्चित गणपतसिंह माण्डोली हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने मंगलवार को पर्दाफाश कर दिया। करीब 18 महीने तक उलझी रही इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का पर्दाफाश होने के बाद पिछले उन्नीस दिन से जारी भूख हड़ताल को रानीवाड़ा पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल ने स्व. गणपतसिंह की माता को ज्यूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया।

जांच में सामने आया कि अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग इस हत्या की मुख्य वजह बनी। कल्याणसिंह पुत्र रणसिंह निवासी माण्डोली पुलिस थाना रामसीन ने एक लिखित रिपोर्ट दी। बताया कि मेरा भाई गणपतसिंह 27 अगस्त 2024 को रात्रि में अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपनी दुकान से कहीं पर चला गया था, जो पुन: नहीं आने पर हमारे द्वारा उसकी खोजबीन की गई, लेकिन गणपतसिंह नहीं मिलने पर 28 अगस्त 2024 को सरहद माण्डोली में कोलाया नाडा जाने वाले ग्रेवल सड़क पर उनकी मोटरसाइकिल सहित लाश मिली। जिसके सिर में गम्भीर चोट मार कर हत्या की गई है। इस पर रिपोर्ट रामसीन पुलिस थाना में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। प्रकरण की गंभीरता एवं घटना का काफी समय से खुलासा नहीं होने से प्रकरण की जांच भुपेन्द्रसिंह आरपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान निस्तारण दल जालोर के जिम्मे की जाकर उनके नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटना की जांच करते हुये संदिग्धों पर निगरानी रखकर मोबाइल नबंरो की कॉल डिटेल का पुन: विश्लेषण किया जाकर प्रकरण में गजेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह, वागाराम पुत्र कानाराम भील एवं लच्छु देवी पत्नी सवाराम चौधरी सभी निवासी माण्डोली थाना रामसीन को दस्तयाब कर घटना कारित करना स्वीकार करने पर प्रकरण में गिरफ्तार किये गये हैं।

जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों को लेकर लगातार ब्लैकमेलिंग हो रही थी। इसी से परेशान होकर आरोपियों ने मिलकर गणपतसिंह को रास्ते से हटाने की साजिश रची और सुनसान जगह पर ले जाकर सिर पर वार कर हत्या कर दी। पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है। वहीं जालोर में पिछले उन्नीस दिन से मृतक की अस्सी वर्षीय मां व उनके पुत्र भूख हड़ताल पर थे। मंगलवार को पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करने पर रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रविन्द्र सिंह बालावत, समाजसेवी रामसिंह चारनीम, दिलीपसिंह, करण सिंह, दीपसिंह धनानी ने गणपतसिंह की माताजी व पुत्र को ज्यूस पीलाकर भूख हड़ताल को समाप्त करवाया।

जालोर में गणपतसिंह हत्याकांड का पर्दाफाश होने पर रानीवाड़ा विधायक नारायणसिंह देवल ने भूख हड़ताल पर बैठी मृतक की अस्सी वर्षीय माताजी को ज्यूस पीलाकर धरना समाप्त करवाया।

- जांच में सामने आया कि अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग इस हत्या की मुख्य वजह बनी

पावटा में कंटेनर से टकराई रोडवेज बस, पांच यात्री घायल

जयपुर से उत्तराखंड के रामपुर जा रही थी राजस्थान रोडवेज की बस

पावटा, (निसं)। जयपुर से उत्तराखंड के रामपुर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर ग्राम लाडाकाबास के नजदीक एक कंटेनर के साइड दबाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के समय बस में करीब चार दर्जन यात्री सवार थे। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया, हालांकि 5 यात्री रोहिताश पुत्र दाताराम निवासी बर्डोद, भवानी पुत्र महेश चन्द निवासी रामपुर, निकिता पुत्री मदन निवासी भूरी भडाज, गगन थापा निवासी चण्डीगढ़, सपना निवासी चण्डीगढ़, अंजू निवासी बानसूर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए उपजिला अस्पताल पावटा लाया गया। वहां उपजिला अस्पताल पावटा प्रभारी डॉ. रवि बंसल व उनकी टीम द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चलते कंटेनर ने बस को परिचालक साइड से दबा दिया, जिससे बस असंतुलित हो गई और सड़क किनारे रुक गई। बस परिचालक की साइड से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कंटेनर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में चीख-पुकार सुनाई दी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को छुट्टी दे दी गई। हादसे के बाद कुछ समय के लिए, यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुचारू करवाया। बस में सवार अन्य यात्रियों को सुरक्षित दूसरे वाहन से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।